राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 192/2024

रिंकु यादव —अपीलार्थी

बनाम

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक (अराजपत्रित) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान, जयपुर।
3. पीएमओ, जिला अस्पताल भिवाडी, जिला खैरथल–तिजारा।

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 31.01.2024
आदेश की दिनांक : 14.03.2024

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री अशोक बंसल, अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमंत धारीवाल, राजकीय अभिभाषक

समक्षः– शुचि शर्मा, सदस्य
चेतन राम देवडा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी द्वारा आलोच्य आदेश दिनांक 24.01.2024 (अनुलग्नक–1) और कार्यमुक्ति आदेश दिनांक 30.01.2024 (अनुलग्नक–2) को चुनौती दी गई है, जिसके तहत अपीलार्थी को स्थानान्तरण प्रतिबंध अवधि के दौरान पदस्थापन आदेशों की प्रतीक्षा में मुख्यालय निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएं जयपुर किया गया है। अपीलार्थी को पदस्थापन आदेशों की प्रतीक्षा करने का आधार यह है कि उसने सिलिकोसिस बीमारी के प्रमाणीकरण के संबंध में अनियमितता की है, जबकि अपीलार्थी ने सिलिकोसिस रोग के रोगी के संबंध में कोई एक्स–रे नहीं किया है। साथ ही उसने निवेदन किया है कि आरएसआर के नियम 25 ए का उल्लंघन करते हुए और प्रतिबंध अवधि के दौरान आलोच्य आदेश जारी किया गया है। अपीलार्थी को प्रारम्भ में वर्ष 2017 में सहायक रेडियोग्राफर के पद पर नियुक्त किया गया था तथा उसके पश्चात उसे रेडियोग्राफर के पद पर पदोन्नत किया गया और माह जनवरी 2023 में जिला अस्पताल, भिवाड़ी में पदस्थापित किया गया। अपीलार्थी वर्तमान में जिला अस्पताल भिवाडी में रेडियोग्राफर के रूप में दिनांक 15.01.2023 से कार्यरत है। इस संबंध में आदेश दिनांक 14.01.2023 (अनुलग्नक–3) पर उपलब्ध है। अपीलार्थी ने सिलिकोसिस बीमारी के संबंध में कोई अनियमितता नहीं की है एवं उसने वर्तमान

पदस्थापन स्थान पर सिलिकोसिस मरीज का कोई एक्स–रे नहीं किया है। अपीलार्थी ने जिला चिकित्सालय भिवाडी के उच्च अधिकारियों से मिलकर निवेदन किया एवं जिला अस्पताल, भिवाड़ी ने दिनांक 27.01.2024 (अनुलग्नक–4) द्वारा एक पत्र भी लिखा, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया कि सिलिकोसिस संबंधित पोर्टल पर जिला अस्पताल, भिवाड़ी में सिलिकोसिस रोग के संबंध में अस्पताल के पोर्टल पर या अपीलार्थी की एसएसओ आईडी पर सिलिकोसिस रोग के रोगी के संबंध में अस्पताल में कोई प्रविष्टि नहीं की गई थी। अपीलार्थी का निवेदन है कि वह सिलिकोसिस बीमारी की अनियमितता में शामिल नहीं है एवं उसने सिलिकोसिस मरीज का कोई एक्स–रे भी नहीं किया है। तथ्यों की जांच किए बिना और संबंधित अस्पताल के प्रभारी द्वारा भेजे गए पत्र पर विचार किए बिना अन्य जिलों में सिलिकोसिस बीमारी के रोगियों के संबंध में की गई अनियमितता के प्रकरण में निर्दोष व्यक्ति को शामिल किया गया है, को नियम विरुद्ध तरीके से पदस्थापन आदेशों की प्रतीक्षा में रखा गया है। अपीलार्थी ने दिनांक 29.01.2024 (अनुलग्नक–5) द्वारा अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य को भी वही तथ्य बताते हुए एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया कि अस्पताल में सिलिकोसिस बीमारी के संबंध में पोर्टल पर आज दिनांक तक कोई पंजीकरण नहीं किया है। प्रकरण दौसा जिला का है एवं अपीलार्थी कभी दौसा में पदस्थापित नहीं रहा है। ऑनलाइन पोर्टल रिपोर्ट पर स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया था कि सिलिकोसिस बीमारी का कोई भी मामला न तो पंजीकृत है और न ही लंबित है, लेकिन बिना किसी आधार के अपीलार्थी को पदस्थापन आदेशों की प्रतीक्षा में रखा गया है। ऑनलाईन पोर्टल रिपोर्ट अनुलग्नक–6 पर उपलब्ध है। संभव है कि अपीलार्थी के एसएसओ आईडी को किसी ने हेक करके दुरूपयोग किया है। जिसकी अपीलार्थी को जानकारी नहीं है। रेडियोग्राफर का काम अस्पताल में एक्स–रे करने का है। अपीलार्थी ने सिलिकोसिस बीमारी के मरीज का कोई एक्स–रे नहीं किया है। आलोच्य आदेश में अनियमितता के आरोप के आधार पर पदस्थापन आदेशों की प्रतीक्षा में रखा गया है। यद्यपि अपीलार्थी ने यह आरोपित कार्य किया ही नहीं है। राज्य सरकार के प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय (ग्रुप–1) विभाग ने आदेश दिनांक 04.01.2024 के द्वारा सभी अधिकारियों/कर्मचारियों के स्थानांतरण/एपीओ पर दिनांक 15.01.2023 से पूर्ण प्रतिबन्ध लगाया है। स्थानान्तरण सेवा का आवश्यक हिस्सा है, परन्तु माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा एस.बी.सिविल रिट पिटिशन संख्या 1114/2016 हेमेन्द्र कुमार त्रिवेदी बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 03.02.2027 (अनुलग्नक–8) द्वारा तय किए गए मामले के आधार पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के अनुसार शिकायत के आधार पर कोई स्थानांतरण मान्य नहीं है। आलोच्य आदेश आरएसआर के नियम

25ए के उल्लघंन में जारी किया गया है। नियम 25ए में विशिष्ट आधारों/दशा में ही एपीओ का प्रावधान है।

अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आलोच्य आदेश दिनांक 24.01.2024 (अनुलग्नक–1) एवं कार्यमुक्ति आदेश दिनांक 30.01.2024 को अपास्त किया जावे तथा अपीलार्थी को निरन्तर रेडियोग्राफर, जिला अस्पताल, भिवाड़ी जिला खैरथल तिजारा के पद पर नियमित वेतन एवं समस्त लाभ प्रदान किए जावे।

प्रत्यर्थी विभाग को प्रस्तुत प्रकरण में जवाब प्रस्तुत करने हेतु कई अवसर दिए जाने के उपरान्त भी जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है।

हमने विद्वान् अधिवक्ता उभयपक्ष को सुना एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया गया।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात से स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी विभाग द्वारा जारी आदेश दिनांक 20.01.2024 (अनुलग्नक–1) जिसमें अपीलार्थी सहित 11 राजसेवकों को सिलिकोसिस प्रमाणीकरण की अनियमितता बरतने के आधार पर पदस्थापन आदेशों की प्रतीक्षा में रखा गया है। जिसकी अनुपालना में प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 30.01.2024 (अनुलग्नक–2) द्वारा अपीलार्थी को कार्यमुक्त किया गया है। अपीलार्थी वर्तमान में जिला अस्पताल भिवाडी, जिला खैरथल–तिजारा में जनवरी 2023 से रेडियोग्राफर के पद पर कार्यरत है। अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति वर्ष 2017 में सहायक रेडियोग्राफर के पद पर हुई और जनवरी 2023 में रेडियोग्राफर के पद पर पदोन्नति होने के पश्चात अपीलार्थी वर्तमाान पदस्थापन स्थान पर कार्यरत है। इससे पहले अपीलार्थी अलवर, किशनगढ़ बास एवं तिजारा में पदस्थापित रहा है। अपीलार्थी के अनुसार सिलिकोसिस बीमारी के प्रमाणीकरण की अनियमितता के संबंध में उसके द्वारा कोई अनियमितता नहीं की गई है। अपीलार्थी के द्वारा सिलिकोसिस बीमारी से ग्रस्त किसी भी बीमारी का वर्तमान पदस्थापन स्थान पर कोई एक्स–रे ही नहीं किया गया है। अपीलार्थी को बिना किसी आधार के आलोच्य आदेश द्वारा पदस्थापन आदेशों की प्रतीक्षा में रखा गया है। प्रमुख चिकित्सा अधिकारी जिला अस्पताल भिवाडी द्वारा निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं को प्रेषित पत्र दिनांक 27.01.2024 (अनुलग्नक–4) में भी यह अंकित किया है कि **''श्री रिंकू यादव पद रेडियोग्राफर दिनांक 15.01.2023 से आज दिनांक तक इस कार्यालय के अधीन कार्यरत है श्री रिंकू यादव पद रेडियोग्राफर की एसएसओ आईडी सिलिकोसिस पोर्टल पर संचालित है। इस अवधि के दौरान इस संस्थान पर सिलिकोसिस मरीज की पुष्टि नही हुई है तथा इस अवधि के दौरान कार्मिक की एसएसओ आईडी से सिलिकोसिस पोर्टल पर भी किसी प्रकार की प्रविष्टी इस संस्थान से संम्बधित नही की गई है।''** अपीलार्थी द्वारा उसकी

सिलिकोसिस पोर्टल पर उसकी पंजीकृत एसएसओ आईडी की डाउनलोड प्रति भी अपील के साथ प्रस्तुत की गई है। जिसके अनुसार भी उसकी एसएसओ आईडी से कोई भी एक्स–रे सिलिकोसिस पोर्टल पर अपलोड नहीं किए जाना पाया जाता हैं। अधिकरण को सिलिकोसिस पोर्टल के संबंध में राज्य सरकार द्वारा संचालित ऑनलाईन पोर्टल के संबंध में अवगत कराया गया है कि सिलिकोसिस मरीज ई–मित्र पर पंजीयन कराता है एवं उसे तब पंजीकरण क्रमांक/आईडी आवंटित हो जाती है। फिर जिला क्षय अधिकारी (डीटीओ) अपनी एसएसओ आईडी से उसकी संबंधित सीएचसी आवंटित करता है जहां डिजिटल एक्स–रे की सुविध उपलब्ध है। मरीज संबंधित सीएचसी पर जाने पर चिकित्सक से सम्पर्क करने पर चिकित्सक उसके आधार कार्ड एवं ई–मित्र पंजीकरण से मिलान करता है एवं उसके दो पहचान चिह्न एवं सिलिकोसिस पंजीकरण संख्या/आईडी उसके एक्स–रे पर्ची पर लिखता है। तत्पश्चात रेडियोग्राफर द्वारा एक्स–रे पर्ची एवं सिलिकोसिस पंजींकरण एवं दो पहचान चिन्हों का मिलान करने एवं सत्यापन कर मरीज का एक्स–रे करता है एंव उसकी पीडीएफ फाईल बनाकर सिलिकोसिस पोर्टल पर अपनी एसएसओ आईडी से अपलोड करता है। इसमें मरीज के सिलिकोसिस पंजीकरण एवं आधार कार्ड का विवरण अंकित रहता है। इसके पश्चात पोर्टल पर उक्त अपलोड किया एक्स–रे रेन्डमली किसी भी रेडियोलोजिस्ट को जांच एवं रिपोर्ट हेतु नियत हो जाता है, जो रेडियोलोजिस्ट पोर्टल पर सूचीबद्ध/पंजीकृत है। रेडियोलोजिस्ट द्वारा जांच कर रिपोर्ट अपनी एसएसओ आईडी से पोर्टल पर अपलोड की जाती है। रेडियोलोजिस्ट की रिपोर्ट में यदि सिलिकोसिस नहीं पाया जाता है तो प्रकरण यहीं बंद हो जाता है एवं यदि सिलिकोसिस के कोई लक्षण पाए जाते हैं तो उसके आधार पर प्रकरण जिला क्षय अधिकारी की एसएसओ आईडी पर आता है एवं रेडियोलोजिस्ट की रिपोर्ट के अनुसार प्रमाणीकरण प्रमाण–पत्र पोर्टल से डीटीओ की एसएसओ आईडी से जारी हो जाता है। स्पष्ट है कि इस सम्पूर्ण प्रक्रिया में रेडियोग्राफर का कार्य मरीज का समुचित रूप से सत्यापन कर उसका एक्स–रे करके निर्धारित विधि से पोर्टल पर अपनी एसएसओ आईडी से अपलोड करना है।

उपलब्ध दस्तावेजात से स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा सिलिकोसिस पोर्टल पर अपनी एसएसओ आईडी से एक भी सिलिकोसिस पीडित का एक्स–रे किया जाकर अपलोड नहीं किया गया है। यह तथ्य प्रमुख चिकित्सा अधिकारी जिला चिकित्सालय भिवाडी के निदेशक चिकित्सा विभाग को लिखे पत्र एवं अपीलार्थी की सिलिकोसिस पोर्टल की एसएसओ आईडी की डाउनलोड प्रति से प्रमाणित होता है। अतः उक्त तथ्यों के आलोक में हमारा यह मत है कि अपीलार्थी के द्वारा सिलिकोसिस प्रमाणीकरण की प्रक्रिया में किसी तरह की अनियमितता नहीं किया

जाना पाया जाता है। अतः प्रत्यर्थी विभाग द्वारा जारी आलोच्य आदेश दिनांक 24.01.2024 (अनुलग्नक–1) एवं कार्यमुक्ति आदेश दिनांक 30.01.2024 को अपास्त किया जाता है एवं प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी को रेडियोग्राफर के पद पर जिला अस्पताल, भिवाड़ी जिला खैरथल तिजारा में कार्यरत रखा जावे। यहां यही भी स्पष्ट किया जाता है कि प्रत्यर्थी विभाग यदि प्रशासनिक आवश्यकताओं के दृष्टिगत अपीलार्थी का अन्यत्र पदस्थापन/स्थानान्तरण करता है तो उसमें यह आदेश बाधक नहीं होगा। तदनुसार अपील निस्तारित की जाती है।

(चेतन राम देवडा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य